न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
75 / 2023	17.05.2023	19.02.2025

1. श्री नारायण पुत्र श्री अर्जुन लाल गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा

---- वादी

बनाम

1. श्री रोशनलाल पुत्र श्री चैना गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 188, 207 के अन्तर्गत

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादी श्री उदय सिंह चारण।

2—अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 उपस्थित।

3— प्रतिवादी संख्या 02 की और से पेरोकार सरकार।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी नारायण पुत्र श्री अुर्जन लाल गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा जिसके खातेदारी भूमि साबिक आराजी नम्बर 36, 37, 38, 43, 44, 45, 78, 79 कुल किता 07 कुल रकबा 05 बीघा भूमि माफिक जमाबन्दी 2020 से 2023 में खातेदारी हक से हीरा पिता छोगा गाडरी के नाम राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है। जिसके हाल आराजी नम्बर 788 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 789 रकबा 03 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा बन्दोबस्त के दौरान अंकित किया गया है। गत बन्दोबस्त मे 05 बीघा भूमि थी, जिसके हाल बन्दोबस्त न्यू चैन (165) से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिए था। इस प्रकार वादी के खाते मे 08 बिस्वा भूमि कम अंकित कर दी गई है। जो रोशन के पिता चैना जी के नये नम्बर 787 में दर्ज कर दी गई, वह मेरे आराजी नम्बर 788 के पूर्व मे लगती हुई है। जबकि कब्जा पूर्वतः डोल के अनुसार अपना अपना चला आ रहा है। प्रतिवादी की आराजी नम्बर 787 वादी की आराजी नम्बर 788 के पूर्व मे है व कब्जा एवं सरवेल मे 08 बिस्वा भूमि वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है। मौके पर पूर्व बन्दोबस्त के अनुसार माली कागजात में दर्ज करा का अधिकार रखता है व आराजी नम्बर 788 मे से 08 बिस्वा अपने पिता के वारीसान अर्जुन के दर्ज कराने का अधिकारी है व राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराने का अधिकारी है।

मौके पर रोशन अर्जुन के वारीसान अपने अपने पूर्णतः अपने अपने भाग पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन रेकार्ड में नारायण के पिता के वारीसान के आठ बिस्वा भूमि पूर्व रेकार्ड के अनुसार राजस्व रेकार्ड में कम दर्ज हुई है। वह वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी के मध्य पाल डोल का विवाद दिनांक 03 अप्रैल 2023 दो हजार तैबीस से प्रारम्भ होकर आज दिनांक तक चला आ रहा है। इस कारण दावा प्रस्तुत करने की नौबत आयी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मिलान खसरे के अनुसार आराजी नम्बर 788 के पूर्व मे प्रतिवादी सख्या 01 की आराजी नम्बर 787 सरवेले से 08 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त कराने व बन्दोबस्ती भूल, गलती को दुरूस्त कराने का हक अधिकार वादी रखता है, जिसके लिये नियमानुसार कानूनन जाप्ता दीवानी धारा 80 के तहत तहसीलदार भीलवाड़ा को दिनांक 21 फरवरी 2022 को नोटिस प्रेषित किया गया, उसके बाद भी राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन नही करने से वाद लाने की नौबत पेश आयी है।

प्रतिवादी संख्या 01 एक अन्य लोगो के साथ मिलकर वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी व वादी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी को मालोला वादग्रस्त आराजी सरहद मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 787 में से वादी का कमी रकबा 08 बिस्वा भूमि से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई भूल के कारण वादी को अतिशय नुकसान उठाना पड रहा है। आराजी नम्बर 787 मे से 08 आठ बिस्वा भूमि प्रतिवादी के रेकार्ड से कम करा रेकार्ड दुरूस्त करने की आज्ञा की डिकी प्रदान करायी जावें। सरहद मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 787 मे से वादी का कमी रकबा 08 बिस्वा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 के खाते से कम कर उक्त कमी रकबा वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जाना व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व नक्शे में कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 कराई जावें।

वादी का वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी का कमी रकबा पर वादी का कब्जा है। आराजी नम्बर 788 के पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 787 सरवेले से 08 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराने व बन्दोबस्ती भूल, गलती को दुरूस्त कर दिये जाने से प्रतिवादी जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है। वादी का कमी रकबा वादी के नाम पर दर्ज कर दिये जाने पर प्रतिवादी जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी का कमी रकबा प्रतिवादी जवाबदाता की आराजी नम्बर 787 में 08 बिस्वा दर्ज होकर तरमीम है, वादी का कमी रकबा प्रतिवादी की आराजी नम्बर 787 में से आराजी नम्बर 788 के सटमा कम कर वादी की आराजी नम्बर 788 में मिला दिया जाने पर प्रतिवादी जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र नारायण पुत्र अर्जुन लाल गाडरी निवासी मालोला का प्रस्तुत किया जो पी0डब्ल्यू0 01 है इस शपथ पत्र का मुख्य परीक्षण दिनांक 12.11.2024 को किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होने से जिरह नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ईकबालिया जवाब श्री रोशनलाल गाडरी का पेश हुआ जो प्रर्दश 01 है। रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 जा0दी0 का राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा व रोशन पिता चैना गाडरी निवासी मालोला को दिनांक 21.12.2022 को दिया गया। जो प्रदर्श 02 है। जमाबन्दी ग्राम मालोला सम्वत् 2020 से 2023 खातेदार चैना पिता छोगा गाडरी की पेश की जो प्रदर्श 03 है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 788, 789 की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 पेश की जो प्रदर्श 04 है। नक्शा चकतराशि ग्राम मालोला सम्वत् 2025 का पेश किया जो प्रदर्श 05 है। श्रीमती सोहन, टमु, लाडु, बदाम पुत्री अर्जुन उर्फ उरजन गाडरी निवासी माण्डल द्वारा स्वैच्छिक हकतर्क नामा दिनांक 31.01.2007 जो श्री नारायण पुत्र अर्जुन उर्फ उरजन निवासी माण्डल के पक्ष में पंजीयन दिनांक 31.01.2007 के दस्तावेज की प्रति पेश की जो प्रदर्श 06 है। ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 787 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी की जमाबन्दी की नकल सम्वत 2063 से 2066 ग्राम मालोला के खातेदार रोशन मुतबन्ना चैना गाडरी के नाम की पेश की जो प्रदर्श 07 है। ग्राम मालोला के जमाबन्दी सवंत 2013 से 2015 में चैना पिता छोगा गाडरी सा0 मालोला के नाम दर्ज आराजी नम्बर 36, 37, 38, 43, 44, 45, 78, 79 का रकबा 15 बीघा भूमि की पेश की जो प्रदर्श 08 है।

वादी के वादपत्र पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मालोला के साबिक आराजी नम्बर 36, 37, 38, 43, 44, 45, 78, 79 कुल किता 07 रकबा 05 बीघा भूमि जमाबन्दी सवंत 2020–2023 में हीरा पिता छोगा गाडरी के नाम खातेदारी से दर्ज थी। जिसके हाल आराजी नम्बर 788 रकबा 17 बिस्वा व आराजी नम्बर 789 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा भूमि बन्दोस्त के दौरान दर्ज हुई। गतबन्दोबस्त में 05 बीघा भूमि की जिसके हाल बन्दोबस्त में 04–05 बीघा दर्ज होना चाहिये लेकिन 03–17 बीघा भूमि ही दर्ज की गई। इस प्रकार 08 बिस्वा भूमि वादी के खातें में कम दर्ज हुई। उक्त कमी रकबा 08 बिस्वा रोशन पिता चैना गाडरी के हाल नम्बर 787 में दर्ज कर दी गई है। कमी रकबा 788 के सरवेल में है। जिसे वादी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। आराजी नम्बर 787 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ने भी ईकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुये आराजी नम्बर 787 में से 08 बिस्वा भूमि 788 में 17 बिस्वा के बजाय 01–05 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 व धारा 88, 89, 188, 207 आर0टी0ए0 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 के ईकबालिया जवाब के आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 787 रकबा 02–07–10 बीघा में से 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से कम कर वादी की आराजी नम्बर 788 के पूर्व में लगती हुई आराजी नम्बर 787 की 08 बिस्वा भूमि को मिलाते हुये आराजी नम्बर 788 का रकबा 0–17 बीघा के बजाय 01–05 बीघा भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 788 का रकबा 01–05 बीघा एवं आराजी नम्बर 787 का रकबा 02–07–10 बीघा के बजाय 01–19–10 बीघा दर्ज करने एवं इसी के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने की घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जारी की जाती है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज कर राजस्व नक्शें में तरमीम करें। खर्चा–फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
75 / 2023

दायर दिनांक
17.05.2023

निर्णय दिनांक
19.02.2025

1. श्री नारायण पुत्र श्री अर्जुन लाल गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा

-- वादी

बनाम

1. श्री रोशनलाल पुत्र श्री चैना गाडरी निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

-- प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं 207 व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 188, 207 के अन्तर्गत

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादी श्री उदय सिंह चारण।

2–अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 उपस्थित।

3– प्रतिवादी संख्या 02 की और से पेरोकार सरकार।

वादी की और से अधिवक्ता श्री उदय सिंह चारण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 19.02.2025 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 व धारा 88, 89, 188, 207 आर0टी0ए0 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 के ईकबालिया जवाब के आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 787 रकबा 02–07–10 बीघा में से 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से कम कर वादी की आराजी नम्बर 788 के पूर्व में लगती हुई आराजी नम्बर 787 की 08 बिस्वा भूमि को मिलाते हुये आराजी नम्बर 788 का रकबा 0–17 बीघा के बजाय 01–05 बीघा भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 788 का रकबा 01–05 बीघा एवं आराजी नम्बर 787 का रकबा 02–07–10 बीघा के बजाय 01–19–10 बीघा दर्ज करने एवं इसी के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने की घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जारी की जाती है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज कर राजस्व नक्शें में तरमीम करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा